पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 127/2019

1. चन्द्रपाल पुत्र रामस्वरूप जाति कुम्हार निवासी शेरडा त0 भादरा।

:– वादी

ब ना म

1. रामस्वरूप पुत्र लेखराम जाति कुम्हार निवासी शेरडा त0 भादरा।
2. रामप्रताप पुत्र पुत्र रामस्वरूप जाति कुम्हार निवासी शेरडा त0 भादरा।
3. छबीलाराम पुत्र रामस्वरूप जाति कुम्हार निवासी शेरडा त0 भादरा।
4. रोशनी पुत्री रामस्वरूप जाति कुम्हार निवासी शेरडा त0 भादरा हाल बहबुलपुर त0 व जिला हिसार।
5. पूनम पुत्री रामस्वरूप जाति कुम्हार निवासी शेरडा त0 भादरा हाल ढाणी कुम्हारान त0 हांसी जिला हिसार।

:– **प्रतिवादीगण**

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री लीलाधर अग्रवाल एवं वकील प्रतिवादीगण श्री नरेन्द्र पचार की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा शेरडा के खाता सं0 383/388 के खसरा सं0 441 की 6.0580है0, खसरा सं0 452/1 की 0.3160है0 कुल 6.3740है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 रामस्वरूप के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में से प्रतिवादी सं0 1 रामस्वरूप का नाम कलमजन किया जाकर वादी चन्द्रपाल व प्रतिवादी सं0 2 रामप्रताप व प्रतिवादी सं0 3 छबीलाराम को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। चूकि प्रतिवादी सं0 1, 4 व 5 ने अपना हक व हिस्सा उक्त वाद भूमि में से वादी व प्रतिवादी सं0 2 व 3 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 07/07/4 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट फास्ट ट्रेक भादरा (हनुमानगढ़)

(सत्यनारायण)
सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 127/2019

1. चन्द्रपाल पुत्र रामस्वरूप जाति कुम्हार निवासी शेरडा त0 भादरा।

:— वादी

ब ना म

1. रामस्वरूप पुत्र लेखराम जाति कुम्हार निवासी शेरडा त0 भादरा।
2. रामप्रताप पुत्र पुत्र रामस्वरूप जाति कुम्हार निवासी शेरडा त0 भादरा।
3. छबीलाराम पुत्र रामस्वरूप जाति कुम्हार निवासी शेरडा त0 भादरा।
4. रोशनी पुत्री रामस्वरूप जाति कुम्हार निवासी शेरडा त0 भादरा हाल बहबुलपुर त0 व जिला हिसार।
5. पूनम पुत्री रामस्वरूप जाति कुम्हार निवासी शेरडा त0 भादरा हाल ढाणी कुम्हारान त0 हांसी जिला हिसार।

:— प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री लीलाधर अग्रवाल : वादी

वकील श्री नरेन्द्र पचार: प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक : 07/07/21

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा शेरडा के खाता सं0 383/388 के खसरा सं0 441 की 6.0580है0, खसरा सं0 452/1 की 0.3160है0 कुल 6.3740है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 रामस्वरूप के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जो पहले वादी के दादा लेखराम की खातेदारी हुआ करती थी। लेखराम के बाद उक्त भूमि को प्रतिवादी सं0 1 रामस्वरूप ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली।

वादी एंव प्रतिवादगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादी की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी अपनी बंटवारा की भूमि को समतल, उपजाउ बनाकर सुधार करना चाहते है जिसके लिए उन्हे केसीसी, ऋण आदि की आवश्यकता रहती है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये लिहाजा यही बनाए मुखासमत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलव किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त प्रतिवादी सं 1 ता 5 द्वारा दावा की सभी मद संख्या को स्वीकार करते हुए अपने पहचान पत्र व दस्तावेजों के साथ इकबाल जवाब पेश किया गया। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यु 1 चन्द्रपाल पुत्र रामस्वरूप के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत शेरडा प्रदर्श 1, सत्यप्रतिलिपि

Scanned with CamScanner

जमाबंदी शेरडा संवत 2071–74 प्रदर्श 2, जमाबंदी भू प्रबंध विभाग रोही शेरडा प्रदर्श 3, जमाबंदी रोही शेरडा संवत 2020 प्रदर्श 4 करवाये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादी के हकों पर विपरित असर पड़ता है। अतः मुताबिक अनुतोष व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने रोही शेरडा के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। दस्तावेजी साक्ष्य में वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत शेरडा प्रदर्श 1, सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी शेरडा संवत 2071–74 प्रदर्श 2, जमाबंदी भू प्रबंध विभाग रोही शेरडा प्रदर्श 3, जमाबंदी रोही शेरडा संवत 2020 प्रदर्श 4 करवाये। जिसमें प्रदर्श 1 वारिस प्रमाण के अनुसार रामस्वरूप के तीन पुत्र चन्द्रपाल, रामप्रताप, छबीलाराम व दो पुत्री रोशनी व पूनम तथा इनके अलावा कोई वारिस नहीं होना अंकित है। तथा प्रदर्श 2 से वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि होना साबित है तथा वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 5 का जन्म से हक हिस्सा निहित है । प्रतिवादी सं0 1, 4 व 5 ने अपना हक हिस्सा उक्त वाद भूमि में से वादी व प्रतिवादी सं0 2 व 3 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। इस प्रकार वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है।

कियात्मक आदेश

अत : वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा शेरडा के खाता सं0 383/388 के खसरा सं0 441 की 6.0580है0, खसरा सं0 452/1 की 0.3160है0 कुल 6.3740है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 रामस्वरूप के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में से प्रतिवादी सं0 1 रामस्वरूप का नाम कलमजन किया जाकर वादी चन्द्रपाल व प्रतिवादी सं0 2 रामप्रताप व प्रतिवादी सं0 3 छबीलाराम को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। चूकि प्रतिवादी सं0 1, 4 व 5 ने अपना हक व हिस्सा उक्त वाद भूमि में से वादी व प्रतिवादी सं0 2 व 3 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 07/07/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट

सह(सत्यनारायण)
(फास्ट ट्रेक)भादरा A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner